<u>आदेश फलक</u>

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......12....../17–18

राज्य बनाम 1. सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50C-1258

2. स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19G-4306

3. सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19A-8078

4. 02 मकान (प्रमोद राम उर्फ विलास राम एवं सुबोध शर्मा)

5. 9200/– सुमो विक्टा गाड़ी (BR-50C-1258) के डेस्क बोर्ड से

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
18.6.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार (बैजनाथपुर) थाना कांड संख्या–233/17 दिनांक– 18.05.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत जप्त सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50C-1258, स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19G-4306, सुमो गोल्ड गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19A-8078, 02 मकान (प्रमोद राम उर्फ विलास राम एवं सुबोध शर्मा) एवं 9200/– सुमो विक्टा गाड़ी (BR-50C-1258) के डेस्क बोर्ड से बरामद को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि गुप्त सूचना के आधार पर बैजनाथपुर पुलिस शिविर तथा अन्य थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक टीम गठित कर दिनांक–18.05.17 को छापामारी किया गया। छापेमारी में प्रमोद राम उर्फ विलास राम पिता–विजेन्द्र राम सा0–सपहा थाना–सौरबाजार (पु0शि0 बैजनाथपुर), जिला– सहरसा के घर आगे का सहन दरबाजा से उजला रंग के सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0–BR-50C-1258 के पिछला डिक्की में रखा आर0एस0 विदेशी शराब 24	

18.6.18

सहरसा

बोतल 750 एम0एल0, 48 बोतल 180 एम0एल0 तथा सुमो विक्टा के डेस्क बोर्ड पर से कुल 9200/–रूपया (काले रंग की पोलोथिन में रखा हुआ) एक उजला रंग का सुमो विक्टा गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नं0–BR-50C-1258 तथा उजला रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19G-4306 की पिछला डिक्की से आर0एस0 का 180 एम0एल0 का 192 बोतल तथा उजला रंग का स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19G-4306 एवं ऑगन से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर नव निर्मित छतदार मकान के बरामदे के सटे पश्चिम वाले कमरे के कच्चे फर्श के नीचे बने हाउद से विदेशी शराब आर0एस0 408 बोतल 375 एम0एल0, 192 बोतल 180 एम0एल0 बरामद हुआ तथा इस अवैध कार्य में संलिप्त प्रमोद राम उर्फ विलाश राम तथा नूतन यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सुबोध शर्मा के घर का सहन दरवाजा से सुमो गोल्ड गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19A-8078 के पिछला डिक्की से एक बोरा में रखा 200 एम0एल0 का 70 पीस पाउच एवं सुमो गोल्ड गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19A-8078 तथा घर से उत्तर से दक्षिण रूख का बना घर में एक बोरा में रखा 200 एम0एल0 का 80 पीस पाउच बरामद हुआ तथा इस अवैध कार्य में संलिप्त सुबोध शर्मा एवं पंकज शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उक्त विदेशी शराब और सुमो विक्टा को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन एवं मकान से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है एवं मकान में शराब का भण्डारण किया गया है। एक वाहन सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0–BR-50C-1258 संख्या का रजिस्ट्रेशन मोटर साईकिल का है जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त सभी चल/अचल सम्पति का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण वाहन मालिक एवं मकान मालिक के विद्वान अधिवक्तागण को सुना उनके द्वारा उक्त वाहन एवं मकान से अवैध शराब बरामद नहीं होने के सम्बन्धित में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा दिए गये कारण पृच्छा में कहा गया कि दिनांक–18.05.17 को समय करीब 01:00 बजे दिन में मजदूर के साथ अपना टूटा हुआ घर को मरम्मत करवा रहा था, कि एकाएक सौरबाजार थाना वैगरह के पुलिस ने मेरे घर पर आकर मुझे अजराह जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। सुमो विक्टा गोल्ड गाड़ी संख्या– BR-19A-8078 का चाभी मुझसे ले लिया और प्रमोद राम उर्फ विलास राम द्वारा बताया गया कि स्कॉर्पियो

13.6.18

गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19G-4306 का मालिक हूँ साथ ही मकान भी मेरे ही नाम से है। उक्त गाड़ी इंडस इंड बैंक से फाइनेंस किया गया है जिसका ई0एम0आई0–18800.00 रू0 है तथा गाड़ी चोला एम एस जनरल इंश्योरेन्स से बीमित है एवं गाड़ी की बीमा अवधि दिनांक–30.12.17 के मध्य रात्री तक मान्य है साथ ही गाड़ी के परमिट की विधि मान्यता 01.02.2015 से 31.01.2020 तक है। उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी थी बगल के घर के आगे की गाड़ी को जब्त किये जाने के दौरान मेरी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया जबकि मेरे गाड़ी में कुछ भी नहीं था। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है तथा अभियुक्त के मकान में अवैध शराब रखा हुआ था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त जप्त वाहन एवं मकान से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन एवं मकान का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जप्त सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50C-1258, स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19G-4306, सुमो गोल्ड गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19A-8078 एवं 9200/– सुमो विक्टा गाड़ी (BR-50C-1258) के डेस्क बोर्ड से बरामद को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। मकान के संबंध में अंचलाधिकारी कहरा एवं भवन निर्माण विभाग से मूल्याकंन कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर, अभिलेख उपस्थापित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

दिनांक 20.6.18 वास्ते सुनवाई।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

13.6.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

13.6.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।